राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 700/2012/झुन्झुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–झुंझुनूं.अपीलार्थी.

बनाम मैसर्स अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं.

.....प्रत्यर्थी.

<u>एकलपीठ</u> श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

1

श्री डी. पी. ओझा, उप राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से. श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से. दिनांक : 29/03/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय वृत–झुंझुनूं (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 303/आरवैट/झुंझुनू में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.08.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश मे रिवर्स किया गया कर एवं ब्याज अपास्त किये जाने व अपील स्वीकार करने को विवादित किया गया है।

 कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2007–08 में वैट अधिनियम की धारा 25(1) एवं 55 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 के द्वारा आई.टी. सी. रूपये 2,67,955 / – को रिवर्स करते हुये ब्याज 1,28,618 रुपये आरोपित किये है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम की गयी आई.टी.सी. के सत्यापन के लिये कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रेता व्यवहारी के कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत—सीकर को पत्र लिखा। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत—सीकर ने पत्रांक 285 दिनांक 31.08.2010 द्वारा सूचित किया कि विक्रेता मैसर्स शुभम ट्रेडिंग कम्पनी सीकर, टिन क्रमांक 08661852938 से विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वैट 08 से सत्यापन नहीं होना पाया गया की सूचना दी गयी। इसके आधार पर अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने आई.टी.सी. रिवर्स करते हुये मांग पत्र रूपये 3,96,573/– रूपये का जारी किया।

noted.

लगातार.....2

अपील संख्या - 700/2012/झुंझुनूं.

-: 2 :--

4. अपीलार्थी के उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक, प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने असत्य रुप से आई.टी.सी. क्लेम की है। अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया व अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया व कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने दिनांक 30.09.2010 को कर निर्धारण अधिकारी को विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शुभम ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित सम्पूर्ण विक्रय बिलों का विवरण जिसमें बिक्री राशि व वैट संग्रहित राशि का विवरण प्रस्तुत कर दिया था, उस पर कोई विचार नहीं किया। संपूर्ण दावा की गई आई.टी.सी. विधिसम्मत है तथा आई.टी.सी. अस्वीकार करना गंभीर त्रुटि है।

 ठभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत—सीकर के पत्र के आधार पर आई.टी.सी. रिवर्स की गयी है। आई. टी.सी. के सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा 18 निम्न प्रकार है :--

18. Input Tax Credit. -

- (1)Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -
 - (a) sale within the State of Rajasthan; or
 - (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
 - (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
 - (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
 - (e) being used as raw material ,except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
 - (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or

1-TEEL

लगातार......3

- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof. subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases -

- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under subsection (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

इसी क्रम मे आई.टी.सी. सत्यापन, स्वीकार करने व अस्वीकार करने के 8. सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 45A का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :--

Rule 45A. - Verification and adjustment of input tax credit.-where dealer or a person claims credit of input tax paid by him, and if such credit is not allowed for want of proper verification of deposits, the assessing authority himself shall get the wither

लगातार.....4

verification done and shall not enforce the demand to the extent of the amount under adjustment, till such adjustment is allowed or the claim for such input tax credit is rejected by an order in writing, as the case may be.

9. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश पारित करके आई.टी.सी. अस्वीकार करके 2,72,180 / – रुपये की मांग सृजित की गई थी। मूल वैट इन्वॉइस प्रस्तुत करने के आधार पर धारा 33 में कर निर्धारण आदेश को संशोधित करते हुये आई.टी.सी. सत्यापित मानकर दिनांक 26.07.2010 को मांग के पैटे समायोजन दे दिया गया था। इसके पश्चात सहायक आयुक्त सीकर के पत्र दिनांक 31.08.2010 के क्रम में पुनः आई.टी.सी अस्वीकार की।

-: 4 :--

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में आदेश पत्र दिनांक 30.09.2010 10. जो उनकी पत्रावली में पृष्ठ संख्या 1 पर उपलब्ध है, निम्न प्रकार लिखा है – ''पत्रावली पेश। व्यवहारी की ओर से प्रेषित एक विवरण पत्र जो कि शूभम ट्रेडिंग कम्पनी, सीकर के मालिक की ओर से हस्ताक्षरित है, आज प्राप्त हुआ, शमिल पत्रावली किया जावें। व्यवहारी को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा चुका है एवं नोटिस तामिल होने के बावजुद व्यवसायी द्वारा नियत पेशी दिनांक 15.09.2010 को कोई जवाब नहीं दिया जाना नोटिस में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति है। अतः व्यवहारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान शुभम ट्रेडिंग कंपनी सीकर से की गई खरीद पर क्लेम की गई आगत कर मुजरा रूपये 2,67,955 के जाँच करवाने पर असत्यापित पाये जाने के कारण अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स 2,67,955 लगाया गया व ब्याज 1,28,618 लगाया जाता हैं। आदेश अलग से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया जावें। मांग पत्र रुपये 3,96,573 मय आदेश की प्रति जारी है।'' दिनांक 30.09.2010 को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शुभम ट्रेडिंग कंपनी, सीकर का संपूर्ण बिक्री विवरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट हो जाने के उपरान्त भी कर निर्धारण अधिकारी इस पर चूप रहे। खरीद के समस्त संव्यवहार की पुष्टि विक्रेता व्यवहारी द्वारा हस्ताक्षरित करके कर दी गयी थी। विक्रेता ने 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्री पर 2,56,638.52 रूपये का कर संग्रहण किया तथा 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्री पर 1030.99 रूपये का कर संग्रहण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपने खरीद संव्यवहारों को वास्तविक प्रमाणित करने के भार का निर्वहन कर दिया था। औसत समझदारी का तकाजा भी यह था कि कर निर्धारण अधिकारी समस्त बिक्री विवरण, इनवाइस व कर वसूल करने की सूचना का सत्यापन सहायक आयुक्त 2 Tred लगातार.....5

अपील संख्या - 700/2012/झुंझुनूं.

वृत-सीकर से करवाते। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शुभम ट्रेडिंग कंपनी, सीकर के समस्त बिक्री विवरण को पत्रावली शामिल कर उसको अनिष्कर्षित क्यों रखा ? पत्रावली शामिल करने का अंकन करके अर्द्धन्यायिक अधिकारी के कर्तव्यों की पालना करने में असफल रहे हैं। शुभम ट्रेडिंग कंपनी, सीकर के वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश में इस प्रकरण से सम्बन्धित संग्रहित कर राशि जमा होने व उसके कर निर्धारण आदेश में समायोजित करने अथवा नहीं करने के बारे में सहायक आयुक्त सीकर से पुष्टि क्यों नहीं करवाई ? यह समस्त कर्तव्य कर निर्धारण अधिकारी पर नियम 45A की पालना में पूर्ण किये जाने की आवश्यकता थी।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 45A की पालना 11. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। विधि के प्रावधान में कर निर्धारण अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया था कि वह स्वयं सत्यापन करवाकर सत्यापन प्राप्त करेगा। कर निर्धारण अधिकारी इस कर्तव्य की पालना करने में असफल रहे हैं। साथ ही सत्यापन के अधीन मांग राशि की वसूली के लिये व्यवहारी को बाध्य नहीं करेगा। कर निर्धारण अधिकारी ने नियम 45A के इस आदेश का भी उल्लंघन किया है। वर्ष 2006–07 के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 में आई.टी.सी. को अस्वीकार करना, इसके पश्चात धारा 33 में आदेश संशोधित करते हुये दिनांक 26.07.2010 को आई.टी.सी. सत्यापित मान लिया गया। इसके पश्चात अविधिक रुप से वैट अधिनियम की धारा 25 में क्षेत्राधिकार नहीं होने के उपरांत भी अविधिक आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी सत्यापन के पर्याप्त सबूत उपलब्ध करा दिये जाने के पश्चात भी, सत्यापन नहीं करवाकर, मांग वसूली का नोटिस जारी करके, करापवंचन करने पर की जाने वाली कार्यवाही को करना सदभावना का संदेश नहीं देती है।

12. वैट अधिनियम की धारा 25 निम्न प्रकार है :--

25. Assessment in case of avoidance or evasion of tax. -

(1) Where the assessing authority or any officer authorized by the commissioner in this behalf has reasons to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax in accordance with law or has availed input tax credit wrongly, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period, that taxable turnover of such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid in accordance with law or wrong input tax credit has been availed and assess the tax to the best of his judgment.

in the

लगातार.....6

(2) The tax assessed under sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice of demand. However, the assessing authority or any officer authorized by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.

-: 6 :--

- (3) The assessment under sub-section (1) shall not be made after the expiry of a period of six months from the date of making out the case. However, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, in any particular case, extend this time limit for a further period not exceeding six months.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year or quarter, as the case may be; and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(म) / 13. ज्यूरिस / कर / आयुक्त / 97 / 536 दिनांक 07.08.2009 के द्वारा करापवंचन का अभियोग जिस अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा, उसका निर्णय अन्य अधिकारी किये द्वारा किये जाने की व्यवस्था करते हुये निर्देश जारी किये गये थे। हस्तगत प्रकरण में उक्त निर्देशों की पालना किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में तकनीकी दृष्टि से ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रूटिपूर्ण पाया जाता है। इसी क्रम में यह भी उल्लेखित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना न्यायिक दृष्टि से त्रूटिपूर्ण है। व्यवहारी द्वारा अपने विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किया गया है, जिसकी समस्त विगत कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण से पूर्व उपलब्ध करा दी गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के स्तर पर किसी प्रकार का करापवंचन किया जाना प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पर्णतया असफल रहे हैं तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों का उचित प्रकार से निर्वचन किये बगैर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना दृष्टिगोचर नहीं होती है।

लगातार.....7

अपील संख्या - 700/2012/झुंझुनूं.

-: 7 :--

14. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि वैट अधिनियम की धारा 25 में पारित आदेश अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उसकी पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।

ل م) *ב*) ک (मनोहर पुरी) सदस्य